

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 04/01/2018

क्रमांक एफ 5-10/2017/अ-तेहत्तर : लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड अब प्रत्येक जिले में स्थापित किये जाने के उद्देश्य से राज्य शासन एतद् द्वारा बोर्ड का गठन निम्न अनुसार करता है :-


- अध्यक्ष - संबंधित जिला कलेक्टर
- शासकीय सदस्य - (1) संबंधित जिला प्रभारी, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
(2) संबंधित जिला प्रभारी, पर्यावरण विभाग
(3) संबंधित जिला प्रभारी, श्रम विभाग
(4) संबंधित जिला प्रभारी, ऊर्जा विभाग (प्रतिनिधि विद्युत वितरण कंपनी)
(5) संबंधित जिला प्रभारी, वाणिज्यिक कर विभाग
(6) संबंधित महाप्रबंधक, औद्योगिक केन्द्र विकास निगम
- अशासकीय सदस्य - संबंधित जिले के औद्योगिक/व्यापार संघों के अध्यक्ष/सचिव
- सदस्य सचिव - संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

2/ उपरोक्त जिला स्तरीय लघु संवर्धन बोर्ड के दायित्व निम्न अनुसार होंगे-

1. एमएसएमई उद्योगों के संवर्धन हेतु परामर्श एवं सुझाव
2. मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति/योजना का क्रियान्वयन
3. जिला स्तर पर उद्योगों में आने वाली कठिनाईयों का निराकरण

3/ जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड द्वारा उद्योग संवर्धन संबंधी अनुशंसाएँ राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड को प्रस्तुत की जावेगी। जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड की बैठक प्रत्येक तीन माह में एक बार की जावेगी। बैठकों की संख्या आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकेगी।

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


उप सचिव,

मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

५